19.11.24 अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि अपील अन्दर मियाद शुमार फरमायी जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी अनपढ व्यक्ति है, पटवारी हल्का एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थी को यह विश्वास दिलाया गया था कि भूमि का विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से किया जायेगा। जिसमें सभी के हिस्से में एक समान भूमि आयेगी। किसी के साथ में कोई पक्षपात नहीं किया जावेगा। प्रार्थी ने पटवारी हल्का एवं रेस्पोडेन्टान की बात पर अपनी सहमति पेश कर दी। लेकिन दिनांक 27.01.2022 को प्रार्थी ने तहसीलदार के निर्णय दिनांक 06.08.2009 की नकल प्राप्त की तब प्रार्थी को पता चला कि रेस्पोडेन्टान ने रास्ते की अच्छे किस्म की भूमि अपने नाम लगवाली है तथा रास्ते के पीछे की भूमि जो कम कीमत की है वह प्रार्थी के नाम लगवा दी है। प्रार्थी को निर्णय अदालत मातहत तहसीलदार गंगापुर सिटी दिनांक 06.08.2009 की जानकारी निर्णय की नकल प्राप्त करने की दिनांक 27.01.2022 को हुयी है। जिसे अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने आरआरटी 2012 (1) पेज नं0 658, सीसीसी 2021 (1) पेज नं0 442, सीसीसी 2021 (3) पेज नं0 148, सीसीसी 2021 (1) पेज नं0 434 नजीरे प्रस्तुत कर अपीलार्थी को निर्णय दिनांक 06.08.2009 की जानकारी दिनांक 27.01.2022 को होने से अपील अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 8 लगायत 11 ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त वाद आराजीयात संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है तथा सभी पक्षों की सहमति से कब्जे अनुसार हल्का पटवारी द्वारा विभाजन स्कीम बनाकर तथा सभी पक्षों की पूर्ण सहमति के आधार पर विभाजन किया गया है। वर्तमान कब्जे अनुसार ही पूर्व में अपने हिस्से पर सभी पक्ष काबिज थे तथा उसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में सभी पक्षों की पूर्ण सहमति के आधार पर तथा पूर्ण संतुष्टि के पश्चात् विभाजन किया गया है तथा विभाजन के पश्चात् उसी अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी पक्ष का यह कथन कि रेस्पोडेन्टान ने रास्ते की अच्छी किस्म की भूमि अपने नाम लगवा ली हो गलत है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश के अनुसार अपीलार्थी ने अपने हिस्से की भूमि पर दिनांक 30.12.2013 को बैक ऑफ बडौदा शाखा तलावड़ा के यहां रहन रखी है। इससे स्पष्ट है कि उक्त विभाजन की प्रार्थी अपीलार्थी को पूर्व से ही जानकारी रही है। बैक के यहां भूमि रहन रखते समय समस्त राजस्व रिकोर्ड की नकलें रहन पत्रावली में प्रस्तुत की जाती है। उक्त समस्त नकलों में प्रार्थी प्रतिवादी का अलग से हिस्सा दर्ज था। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि उक्त विभाजन की प्रार्थी प्रतिवादी को शुरू से ही पूर्ण जानकारी रही है तथा उक्त भूमि वर्तमान में भी बैक के यहां रहन है। भागचन्द पुत्र गुलजी जाति मीना निवासी तलावड़ा द्वारा विभाजन के पश्चात् अपनी खातेदारी में दर्ज भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 1.17 है0 को दिनांक 08.11.2012 को गोविन्दसहाय पुत्र लालचन्द्र प्रत्यर्थी संख्या 9 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी थी, जिस पर गवाही के रूप में रामजीलाल पुत्र गुलजी

19/11/24

19.11.24 अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि अपील अन्दर मियाद शुमार फरमायी जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी अनपढ व्यक्ति है, पटवारी हल्का एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थी को यह विश्वास दिलाया गया था कि भूमि का विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से किया जायेगा। जिसमें सभी के हिस्से में एक समान भूमि आयेगी। किसी के साथ में कोई पक्षपात नहीं किया जावेगा। प्रार्थी ने पटवारी हल्का एवं रेस्पोडेन्टान की बात पर अपनी सहमति पेश कर दी। लेकिन दिनांक 27.01.2022 को प्रार्थी ने तहसीलदार के निर्णय दिनांक 06.08.2009 की नकल प्राप्त की तब प्रार्थी को पता चला कि रेस्पोडेन्टान ने रास्ते की अच्छे किस्म की भूमि अपने नाम लगवाली है तथा रास्ते के पीछे की भूमि जो कम कीमत की है वह प्रार्थी के नाम लगवा दी है। प्रार्थी को निर्णय अदालत मातहत तहसीलदार गंगापुर सिटी दिनांक 06.08.2009 की जानकारी निर्णय की नकल प्राप्त करने की दिनांक 27.01.2022 को हुयी है। जिसे अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने आरआरटी 2012 (1) पेज नं0 658, सीसीसी 2021 (1) पेज नं0 442, सीसीसी 2021 (3) पेज नं0 148, सीसीसी 2021 (1) पेज नं0 434 नजीरे प्रस्तुत कर अपीलार्थी को निर्णय दिनांक 06.08.2009 की जानकारी दिनांक 27.01.2022 को होने से अपील अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 8 लगायत 11 ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त वाद आराजीयात संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है तथा सभी पक्षों की सहमति से कब्जे अनुसार हल्का पटवारी द्वारा विभाजन स्कीम बनाकर तथा सभी पक्षों की पूर्ण सहमति के आधार पर विभाजन किया गया है। वर्तमान कब्जे अनुसार ही पूर्व में अपने हिस्से पर सभी पक्ष काबिज थे तथा उसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में सभी पक्षों की पूर्ण सहमति के आधार पर तथा पूर्ण संतुष्टि के पश्चात् विभाजन किया गया है तथा विभाजन के पश्चात् उसी अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी पक्ष का यह कथन कि रेस्पोडेन्टान ने रास्ते की अच्छी किस्म की भूमि अपने नाम लगवा ली हो गलत है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश के अनुसार अपीलार्थी ने अपने हिस्से की भूमि पर दिनांक 30.12.2013 को बैक ऑफ बडौदा शाखा तलावड़ा के यहां रहन रखी है। इससे स्पष्ट है कि उक्त विभाजन की प्रार्थी अपीलार्थी को पूर्व से ही जानकारी रही है। बैक के यहां भूमि रहन रखते समय समस्त राजस्व रिकोर्ड की नकलें रहन पत्रावली में प्रस्तुत की जाती है। उक्त समस्त नकलों में प्रार्थी प्रतिवादी का अलग से हिस्सा दर्ज था। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि उक्त विभाजन की प्रार्थी प्रतिवादी को शुरू से ही पूर्ण जानकारी रही है तथा उक्त भूमि वर्तमान में भी बैक के यहां रहन है। भागचन्द पुत्र गुलजी जाति मीना निवासी तलावड़ा द्वारा विभाजन के पश्चात् अपनी खातेदारी में दर्ज भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 1.17 है0 को दिनांक 08.11.2012 को गोविन्दसहाय पुत्र लालचन्द्र प्रत्यर्थी संख्या 9 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी थी, जिस पर गवाही के रूप मे रामजीलाल पुत्र गुलजी

19/11/24

अपीलार्थी के गवाह संख्या 2 के रूप में हस्ताक्षर है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को उक्त विभाजन की शुरू से ही पूर्ण जानकारी रही है तथा उक्त विभाजन में आयी भूमि को ही दिनांक 08.11.2012 को भागचन्द्र पुत्र गुलजी द्वारा विक्रय की गयी है। अपीलार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना में गलत रूप से दिनांक 27.01.2022 को अदालत मातहत के निर्णय की जानकारी होना अंकित किया है, साथ ही रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने के कारण निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिवस है। लेकिन अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 08.02.2022 को प्रस्तुत की जो दिनांक 25.02.2022 को दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम में अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 06.08.2009 की जानकारी दिनांक 27.01.2022 को होना अवगत कराया है तथा अपनी सहमती में आरआरटी 2012 (1) पेज नं0 658, सीसीसी 2021 (1) पेज नं0 442, सीसीसी 2021 (3) पेज नं0 148, सीसीसी 2021 (1) पेज नं0 434 नजीरे प्रस्तुत की है। उक्त नजीरों का अवलोकन किया गया। आरआरटी 2012 (1) पेज नं0 658 में " मा0 न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 भूमि का विभाजन –संयुक्त खातेदारी की भूमि – पक्षकारों द्वारा अपनी सहमति से विभाजन पत्र पेश किया गया– भूमि में जी0एस0 का दस आना हिस्सा था और वह 10 आना भूमि के कब्जे में है–जी0एस0 अशिक्षित व्यक्ति है–कपट अथवा मिथ्या कथन पर प्राप्त सहमति पर आधारित समझौता पत्र शून्यकरणीय है– कथित विभाजन के बाद जी0एस0 का हिस्सा कम हुआ निर्णित आदेश अपास्त किये व पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार को निर्देश दिया है।" सीसीसी 2021 (1) पेज नं0 442 मे "मा0 न्यायालय द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 बिलंब की क्षमा न्यायालयों को बिलंब की क्षमा के मामलों में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जहां उचित आधार हो–यदि विलंब के कारण सदभावपूर्ण है और आवेदक को विलंब के कारण कोई लाभ नहीं मिलता है तो न्यायलयों को उदार दृष्टिकोण अपनाकर विलंब को क्षमा करना चाहिए।" सीसीसी 2021 (3) पेज नं0 148 मे " मा0 न्यायालय द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 विलम्ब की क्षमा–अवधि महत्वपूर्ण नही है–यहां तक कि अल्प विलम्ब भी क्षमा योग्य नही हो सकता है और कभी–कभी मामले के गुण दोष को देखते हुए भी विलम्ब क्षमा किया जा सकता है ताकि किसी पक्ष के साथ अन्याय न हो एवं परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 विलम्ब की क्षमा–अपील दायर करने में विलम्ब की क्षमा के लिए आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि बहुत विलम्ब हुआ है, क्योकि परिसीमा कानून का उद्देश्य अपील के अधिकार को छीनना नहीं है और यदि आधार और गुण–दोष में कुछ तथ्य है तो विलम्ब की अवधि बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है अंकित किया है" सीसीसी 2021 (1) पेज नं0 434 मे " मा0 न्यायालय द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 विलंब की क्षमा न्यायालयों को विलंब की क्षमा के मामलों में उदार, व्यावहारिक और न्यायोन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। न्यायालयो को ऐसे मामलों में पांडित्यपूर्ण

19/11/24

दृष्टिकोण बचना चाहिए और प्रकिया के प्रति दासता से बचना चाहिए अंकित किया है

" वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा विभाजन के अर्न्तगत प्राप्त अपने सम्पूर्ण हिस्से को दिनांक 30.12.2023 को बैक आफ बडौदा शाख तलावड़ा के यहां रहन रखा है तथा भागचन्द पुत्र गुलजी जाति मीना निवासी तलावड़ा द्वारा विभाजन के पश्चात् अपनी खातेदारी दर्ज हुई भूमि जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र विकय कर दी थी, जिस पर गवाही के रूप में अपीलार्थी के गवाह सं0 2 के रूप मे हस्ताक्षर है। वकील रेस्पोडेन्ट के उक्त कथन के सम्बन्ध में प्रमाणित प्रति रजिस्टर्ड विकय पत्र व प्रमाणित प्रति रहन जमाबन्दी न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की है। जिससे प्रतीत होता है कि अदालत मातहत के निर्णय की जानकारी अपीलार्थी पक्ष को पूर्व से ही थी तथा अपीलार्थी द्वारा दफा 5 प्रार्थना में अंकित कथन अपीलार्थी को निर्णय दिनांक 06.08.2009 की जानकारी दिनांक 27.01.2022 को हुई है, उचित प्रतीत नहीं लगता है। अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत् दावा तकासभा अर्न्तगत धारा 53 रा0का0 अधिनियम मे अपीलार्थी स्वयं की अगूठां निशानी है। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त विभाजन अपीलार्थी की सहमति से हुआ है तथा अपीलार्थी को उक्त विभाजन आदेश की जानकारी आदेश पारित होने की दिनांक 06/08/2009 से ही है। अपीलार्थी न्यायालय हाजा के समक्ष दायर अपील में हुई देरी 12 वर्ष के संबंध में उचित दस्तावेज/साक्ष्य एवं कारण प्रस्तुत करने में असफल रहा है। जिससे विलम्ब/देरी को क्षमा प्रदान करना न्यायालय हाजा को उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/11/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

19/11/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी